



F-07-07

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं . 1900/ Type Approval No.: 1900

मद/FOR ITEM: 250 केजी एच एस एल डी बोम्ब के बैलिस्टिक टेल यूनिट सं. टीबी 250
Ballistic Tail Unit No. TB250 of 250Kg HSLD Bomb

यह प्रमाणित किया जाता है कि आरममेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टाब्लिशमेंट (ए आर डीई), डी आर डी ओ, आर्ममेंट पोस्ट, पाषाण, पुणे- 411 021, द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित तथा मेसर्स ऑर्डिनेंस फैक्टरी, डम डम, जेसोर रोड, कोलकत्ता-700 028 द्वारा उत्पादित " 250 केजी एच एस एल डी बोम्ब के टेल यूनिट सं. टीबी 250 ", पार्ट सं. अथवा आरेखन सं. एआरडीई-9501-03 को असेंबली आरेखन सं. एआरडीई-9501-03, रिविजन सं. शून्य, इश्यू सं. शून्य, दिनांक 21 दिसंबर 1998 के अनुसार 250 केजी एच एस एल डी बोम्ब में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह तकनीकी विनिर्देश संदर्भ दस्तावेज़ सं. एआरडीई/एडीएम/तकनीकी विनिर्देश/टेल यूनिट सं. टीबी 250, इश्यू:01, दिनांक अप्रैल, 2015 और टाईप टेस्ट प्रोसीजर दस्तावेज़ सं. एआरडीई/एडीएम/टीटीएस टेल यूनिट सं. टीबी250, इश्यू:01, दिनांक अप्रैल 2015 के अनुसार आर सी एम ए (एए) के समन्वय से परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "Ballistic Tail Unit No.TB250 of 250 Kg HSLD Bomb" bearing the Part No. or Drawing No.: ARDE-9501-03, designed, developed by Armament Research and Development Establishment (ARDE), DRDO, Armament Post, Pashan, Pune – 411 021 and manufactured by M/s. Ordnance Factory, Dum Dum, Jessore Road, Kolkata – 700 028 is hereby approved for production as per Assembly Drawing No.: ARDE-9501-03, Rev. No.: Nil, Issue No.: Nil, Dated: 21st December 1998 for use in 250 Kg HSLD Bomb. It has been tested as per Technical Specification Ref. Doc No.: ARDE/ADM/TECH SPEC/Tail Unit No.: TB250, Issue: 01, Dated: April, 2015 and Type Test Procedure Doc No.: ARDE/ADM/TTS Tail Unit No.: TB250, Issue: 01, Dated: April 2015 in co-ordination with RCMA (AA). It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superseded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 30 जून 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाता तदुपरांत इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए (ए.ए.), पाषाण, पुणे - 411 021, से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 30th June 2021 unless otherwise cancelled, suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (AA), Pashan, Pune 411 021, for subsequent renewal, Three (3) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस संलग्न टाइप रिकॉर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।


Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance as indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferrable to any other agency.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects for bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Government of India.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'
स./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/ टी.ए./TA-1900
दिनांक/Date : 04 August 2016
फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

 01/08/16 K.D. 2/8/2016


पी जयपाल / P.JAYAPAL
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)